



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237043
CG-DL-E-04072022-237043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2884]
No. 2884]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

(एडी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8, दिसम्बर, 2021

का.आ. 3032(अ).—विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 की सं.27) के अध्याय II की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री शिरीष कृष्णा व्यवहारे को दिनांक 01.11.2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. एवी.24011/2/2020-एडी]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**(AD Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 3032(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of chapter (ii) of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (No. 27 of 2008), the Central Government hereby appoints Shri Shirish Krishna Vyawahare as Member, Airports Economic Regulatory Authority w.e.f. 01.11.2021 for a tenure of five years or till he attain the age of 62 years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. AV.24011/2/2020-AD]

RUBINA ALI, Jt. Secy.